



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07122022-240853  
CG-DL-E-07122022-240853

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 627]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 6, 2022/अग्रहायण 15, 1944

No. 627]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 6, 2022/AGRAHAYANA 15, 1944

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 5 दिसम्बर, 2022

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण(बीमा मध्यस्थ) (संशोधन) विनियम, 2022

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/4/183/2022.—बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 42D और 42E के साथ पठित धारा 114A की उप-धारा 2 के खंड (vb) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 14 और 26, 1999 (1999 का 41), प्राधिकरण, बीमा सलाहकार समिति के परामर्श से, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

उद्देश्य:

- विभिन्न वितरण चैनलों के माध्यम से बीमा की खरीद के लिए संभावनाओं और पॉलिसीधारकों को व्यापक विकल्प और पहुंच प्रदान करने में सक्षम बनाना;
- बीमा पैठ बढ़ाने के लिए देश भर में बीमा की पहुंच को सुगम बनाना

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:

1.1 इन विनियमों को भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा मध्यस्थ) (संशोधन) विनियम, 2022 कहा जा सकता है।

1.2 ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**अध्याय 1**

**1. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कॉर्पोरेट एजेंट का पंजीकरण) विनियम, 2015 में संशोधन**  
इन विनियमों के दायरे और प्रयोज्यता पर विनियम 3 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया है।

इन विनियमों में पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता के दौरान कॉर्पोरेट एजेंटों का कार्यकलाप जीवन बीमाकर्ताओं, सामान्य बीमाकर्ताओं और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के बीमा व्यवसाय का आग्रह, उपार्जन और सेवा के उद्देश्य से निम्नानुसार होगा।

- एक कॉर्पोरेट एजेंट (जीवन), अधिकतम नौ जीवन बीमाकर्ताओं के साथ अपने बीमा उत्पादों के आग्रह, उपार्जन और सेवा के लिए व्यवस्था कर सकता है।
- एक कॉर्पोरेट एजेंट (सामान्य), अधिकतम नौ सामान्य बीमाकर्ताओं के साथ अपने बीमा उत्पादों के आग्रह, उपार्जन और सेवा के लिए व्यवस्था कर सकता है। इसके अलावा, कॉर्पोरेट एजेंट (जनरल) सामान्य बीमा उत्पादों की खुदरा लाइनों और ऐसे बीमाकर्ताओं की वाणिज्यिक लाइनों का आग्रह, उपार्जन और सेवा करेगा, जिनकी कुल बीमा राशि संयुक्त रूप से सभी बीमाओं के लिए प्रति जोखिम पाँच करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी।
- एक कॉर्पोरेट एजेंट (स्वास्थ्य), अधिकतम नौ स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के साथ अपने बीमा उत्पादों का आग्रह, उपार्जन और सेवा के लिए व्यवस्था कर सकता है।
- कॉर्पोरेट एजेंट (समग्र) के मामले में, खंड (ए) से (सी) में निर्दिष्ट शर्तें लागू होंगी, बशर्ते कि एक कॉर्पोरेट एजेंट (समग्र) बीमाकर्ताओं के साथ (ए), (बी) और (सी), में निर्धारित सीमा से अधिक की व्यवस्था कर सकता है, इस शर्त के अधीन कि जीवन, सामान्य और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के साथ व्यवस्था की कुल संख्या किसी भी समय सत्ताईस से अधिक नहीं होगी।

**दूसरा अध्याय**

**2. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विपणन फर्म का पंजीकरण) विनियम, 2015 में संशोधन**

**3. इन विनियमों का दायरा और प्रयोज्यता:**

इन विनियमों के दायरे और प्रयोज्यता पर विनियम 3ए(i) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया है।

**क (i) बीमाकर्ताओं के साथ गठजोड़:**

बीमा विपणन फर्म (आईएमएफ) प्राधिकरण को सूचित करते हुए किसी भी समय अधिकतम छह जीवन बीमाकर्ताओं, छह सामान्य बीमाकर्ताओं और छह स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के बीमा उत्पादों की मांग और उपार्जन के उद्देश्य से बीमा बिक्रय व्यक्तियों (आईएसपी) को नियुक्त करेगी।

बशर्ते आगे कि बीमाकर्ताओं के साथ जुड़ाव में कोई भी बदलाव बीमा विपणन फर्म और बीमाकर्ता के बीच किए गए समझौते की शर्तों द्वारा शासित होगा, और समझौते की निरस्तीकरण/समाप्ति/निरंतरता की परिस्थिति में संबंधित बीमाकर्ता द्वारा मौजूदा पॉलिसीधारकों को सेवा देने के लिए उपयुक्त व्यवस्था के साथ होगा।

बीमा विपणन फर्म इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में बीमाकर्ताओं के साथ अनुबंध में ऐसे किसी भी परिवर्तन के बारे में प्राधिकरण को सूचित करेगी।

**19.3: बीमा विपणन फर्म के संचालन का क्षेत्र:**

विनियम 19(3) के तहत अनुसूची IV के भाग III में बताए गए बीमा विपणन फर्म के संचालन के क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले नियम (2) और (5) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया है।

(2): "क्षेत्र" को उस राज्य के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके लिए बीमा विपणन फर्म का पंजीकरण वैध है।

(5) पंजीकृत बीमा विपणन फर्म एक राज्य के भीतर सभी जिलों में काम कर सकती हैं जिसके लिए पंजीकरण वैध है।

देवाशीष पण्डा, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./445/2022-23]

**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA****NOTIFICATION**

Hyderabad, the 5th December, 2022

**Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2022**

**F.No. IRDAI/ Reg/4/183/2022.**—In exercise of the powers conferred by clause (vb) of sub-section 2 of section 114A read with Section 42D and 42E of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) and section 14 and 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations, namely: -

**Objective:** This amendment shall;

- (a) enable the prospects and policyholders to have wider choice and access to purchase of insurance through various distribution channels;
- (b) facilitate the reach of insurance across the country for enhancing insurance penetration;

**1. Short Title and commencement:**

1.1 These Regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2022.

1.2 These Regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**CHAPTER I****1. Amendment to the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015**

The Regulation 3 on Scope and Applicability of these Regulations is replaced as under.

These regulations shall cover Registration of Corporate Agents for the purpose of soliciting, procuring and servicing of Insurance business of life insurers, general insurers and health insurers during the validity of certificate of registration as follows.

- (a) A Corporate Agent (Life), may have arrangements with a maximum of nine life insurers to solicit, procure and service their insurance products.
- (b) A Corporate Agent (General), may have arrangements with a maximum of nine general insurers to solicit, procure and service their insurance products. Further, the Corporate Agent (General) shall solicit, procure and service retail lines of general insurance products and commercial lines of such insurers having a total sum insured not exceeding rupees five crores per risk for all insurances combined.
- (c) A Corporate Agent (Health), may have arrangements with a maximum of nine health insurers to solicit, procure and service their insurance products.
- (d) In the case of Corporate Agent (Composite), the conditions as specified in clauses (a) to (c) shall apply provided that a Corporate Agent (Composite) may have arrangements with insurers in excess of the ceilings prescribed in (a), (b) and (c), subject to the condition that the total number of arrangements with life, general and health insurers, shall not exceed twenty-seven at any point of time.

**CHAPTER II****2. Amendment to the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Insurance Marketing Firm) Regulations, 2015****3. Scope and applicability of these Regulations:**

The Regulation 3a(i) on Scope and Applicability of these Regulations is replaced as under.

**a (i) Tie ups with insurers:**

The Insurance Marketing Firms (IMF) shall engage Insurance Sales Persons (ISP) for the purpose of soliciting and procuring insurance products of maximum of six Life insurers, six General insurers and six Health insurers at any point of time, under intimation to the Authority.

Provided that any change in the engagement with the insurers shall be governed by the terms of the agreement entered into between the Insurance Marketing Firm and the insurer, with suitable arrangements for servicing existing policyholders by the concerned insurer, in case of cancellation/ termination/ discontinuity of agreement.

The Insurance Marketing Firm shall intimate the Authority of any such change in the engagement with insurers in the format specified by the Authority in this behalf.

**19.3: Area of operation of the Insurance Marketing firm:**

The rules (2) and (5) governing the area of operation of the Insurance Marketing firm stated in Part III of Schedule IV under the Regulation 19 (3) are replaced as under.

(2): The “Area” is defined as the state for which the registration of the Insurance Marketing Firm is valid.

(5) The registered Insurance Marketing Firms may operate in all districts within a state for which the registration is valid.

DEBASISH PANDA, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./445/2022-23]